छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–04/2007/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/08/2025

प्रति,

ए.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली – 110003।

विषयः– Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2(1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s South Eastern Coalfields Limited for non-forestry use of 402.966 ha. of forest land for Kusmunda and Laxman Opencast Coal Mining projects in Korba District of Chhattisgarh Modification in the condition of Stage -I approval - regarding.

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-08/2018-FC, दिनांक 26.04.2018।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-08/2018-FC, दिनांक 27.06.2025।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/104/1653, दिनांक 30.06.2025।

———00———

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से प्रथम चरण स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त अनुमति में अधिरोपित शर्त क्र. (ii) एवं (iii) को भारत सरकार, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा विलोपित किया गया है।

2/– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 3 दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से भारत सरकार के उक्त शर्त क्र. (ii) एवं (iii) के अलावा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शेष समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति समस्त संलग्नको सहित उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–04/2007/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/08/2025

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4. मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र, कोरबा, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

2293

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)
दूरभाष: 0771 - 2512840 ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/104/1653 रायपुर, दिनांक 30/06/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

पंजी क्रमांक 1363 /201/11- 2/वन
दिनांक 01/07/2025

विषयः- **Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s South Eastern Coalfield Limited for nonforestry use of 402.966 ha of forest land for Kushmunda and Laxman Opencast Coal Mining Projects in Korba District of Chhattisgarh – reg. (Online Proposal No. FP/CG/MIN/22244/2005)**

संदर्भ: - 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र F. 8-08/2018-FC दिनांक 26.04.2018
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 27.06.2025

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र-1 द्वारा SECL को कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत कुसमुण्डा एवं लक्ष्मण खुली खदान 402.966 हे. वन भूमि में कोयला उत्खनन हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके पालन में प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र दिनांक 25.01.2021 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित किया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र-2 द्वारा दिनांक 26.05.2025 को आर.ई.सी की बैठक में हुई चर्चानुसार विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण स्वीकृति का पालन एवं अधिसूचना से संबंधी जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार है:-

SL	CONDITIONS	Compliance
1)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
2)	The NPV for the entire 402.996 ha of forest land shall be deposited.	आवेदक विभाग द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि रू. 29,41,65,180/- छत्तीगसढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई-चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।
3)	Compensatory afforestation shall be done on degraded forest land on double the forest land diverted and at least 1000 plants per ha will be planted (402.966 x	आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 53,21,11,767/- छत्तीगसढ़ कैम्पा में दिनांक

2294

	1000= 402966 plants) on the identified CA land with 10 years maintenance. The cost of CA will be revised, if required, and the CA cost will be deposited in the Compensatory afforestation Fund managed by adhoc CAMPA.	27/06/2018 को ई–चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।
4)	Penal CA will be done on degraded forest land on equal the forest land diverted illegally and at least 1000 plants per ha will be planted (402.966 x 1000= 402966 plants) on ,the identified penal CA land with 10 years maintenance. The cost of penal CA will be revised, if required, and the penal CA cost will be deposited in the Compensatory afforestation Fund managed by adhoc CAMPA.	आवेदक विभाग द्वारा दाण्डिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 26,60,55,884/– छत्तीसगढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई–चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।
5)	25% cost of the penal CA and CA cost will be deposited in addition to CA and penal CA for soil and moisture conservation works on the CA and penal CA sites.	आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं दाण्डिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि 19,95,41,913/– छत्तीसगढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई–चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।
6)	The user agency should undertake comprehensive greening in the villages located in the surrounding of their lease area.	वनमण्डलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्त के अनुसार राज्य वन विकास निगम द्वारा बाता गांव के 2.742 हे. राजस्व भूमि में वर्ष 2017–18 में 6855 नग फलदार वृक्षों का रोपण किया गया है। रोपित क्षेत्र में पौधे स्वस्थ्य है एवं जीवित प्रतिशत 90 प्रतिशत लगभग है।
7)	Mined out forest area already reclaimed by the User Agency, should be handed over back to the State Forest Department with a view to bring it under the ambit of core forestry management prior to stage II approval.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
8)	The UA should prepare a land surrender schedule for surrender of the mined out and biological reclaimed forest land in accordance with the existing mine plan irrespective of progressive mine closure plan and submit a surrender schedule and an undertaking that mined out and biologically reclaimed forest land will be	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

	surrendered to the State Forest Department as per this schedule.	
9)	Since the reclaimed forest land is revenue forest, the state government should notify the area as protected forest under Indian Forest Act or State Forest Act/rules. No further change in the schedule for surrendering of forest land should be allowed.	शर्त के पालन में प्राप्त राजस्व वन भूमि 52.164 हे. में से Reclaimed की गई राजस्व वन भूमि रकबा 33.564 हे. को छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन के अधिसूचना दिनांक 10.01.2025 से आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। **अधिसूचना की प्रति संलग्न है।**
10)	With a view to enrich the water regime in the area, a comprehensive Catchment Area Treatment Plan in the area to arrest flow of silt in the Hasdeo River and to improve water regime should be implemented at the project cost. The plan along with detail financial outlay, duly approved by competent authority shall be submitted prior to stage II approval.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
11)	A study should be undertaken at the project cost to assess the impact intervention undertaken by the SECL, in consultation with the State Forest Department, for the protection, conservation and development of wildlife in the area. Based on the outcome of such study, the measures for protection, conservation and development of the wildlife, if needed may further be strengthened at the project cost.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
12)	No forest land/Revenue Forest land should be used for rehabilitation and diversion of Right Bank Canal of Irrigation Department during the course for future mining expansion programme of the User Agency. The User Agency shall ensure that construction of residential accommodation for workers will be undertaken separately on non-forest land to avoid pressure on forest land for temporary construction;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
13)	The staff working in the mine should be provided cooking gas through pipeline to avoid pressure on forests for fuel wood;	आवेदक विभाग द्वारा लेख किया गया है कि खदान में कार्यरत कर्मचारियों को को–आपरेटिव सोसायटी के माध्यम से एल.पी.जी. गैस प्रदाय किया जाता है ताकि खदान क्षेत्र से लगे हुये वन क्षेत्रे में किसी भी नुकसान और दबाव से बचा जा सके।
14)	A Monitoring Committee with DCF as one of its member, should be constituted to monitor the compliance of various conditions stipulated by the Government of India and implementation of reclamation plan;	वनमंडल स्तर पर समिति का गठन किया गया है एवं समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न हैं।

Scanned with OKEN Scanner

15)	Safety zone shall be fenced with coiled barbered wire fencing of 6 feet high for the protection of forests and boundary of the mining lease shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग द्वारा 2018–19 में सेफ्टीजोन प्लान्टेशन का कार्य 17 कि.मी. में से 03 कि.मी. किया गया है। जिसमें पौधो का जीवित प्रतिशत लगभग 95 प्रतिशत है। सेफ्टीजोन प्लान्टेशन का सुरक्षा घेराव चैनलिंक द्वारा किया गया है। शेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गई है।
16)	User agency shall submit approved R&R plan and implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government Regional Office of MoEF &CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.	आवेदक संस्था द्वारा पुर्नवास का कार्य कोल इंडिया लिमिटेड पुर्नवास निति 2012 तथा छ.ग. राज्य आर्दश पुर्नवास निति 2007 के अनुसार किया जा चुका है।
17)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India topo-sheet of 1 :50,000 scale;	आवेदक विभाग द्वारा व्यपवर्तन प्रस्ताव के आवेदन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सर्वे आफ इंडिया टोपोशीट में चयनित क्षेत्र को दर्शाया गया है।
18)	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the *compensatory afforestation* at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State *through online portal*. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 53,21,11,767/– छत्तीगसढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई–चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।
19)	The User Agency shall transfer the funds for the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 through online portal of Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned;	आवेदक विभाग द्वारा प्रत्याशा मूल की राशि 29,41,65,180/– छत्तीगसढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई–चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।
20)	Following activities shall be undertaken by the user agency at the project cost and if *appropriate cost of the plan/scheme shall be deposited in Ad-hoc CAMPA Account*: a) A plan containing appropriate	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग द्वारा तत् संबध में लेख किया गया है। 1. कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट योजना हेतु छत्तीसगढ़ कांउसिल ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी

Scanned with CamScanner

	Mitigative measures to minimize b) soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented; c) Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion; d) Construction of check dams, retention/ toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour; e) Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching so as to ensure that that angles of repose at any given place is less than 28°; and f) Strict adherence to the prescribed top soil management.	रायपुर को कार्यादेश जारी किया गया जा चुका है। संस्था द्वारा फाईनल रिपोर्ट जमा किया जा चुका हैं। तत्संबंध में आवेदक विभाग द्वारा वचन पत्र दिया गया हैं। 2. आवेदक विभाग ने छ.ग. राज्य वन विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2006 से 2018–19 तक लगभग 203 हे. एरिया में रिक्लेन्ड माइंड आउट एरिया में लगभग 726094 नग पौधा रोपण एवं अन्य क्षेत्र में वर्तमान तक लगभग 493 हे. में 1909332 नग पौधा रोपण किया गया है जिसमें जीवित प्रतिशत 80 से 90 तक है। 3. आवेदक विभाग ने छ.ग.राज्य वन विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2018–19 में रिक्लेम्ड माइंड आउट एरिया में भूमि क्षरण को रोकने में बोल्डर चेक डेम का निर्माण किया गया है। 4. एस.ई.सी.एल. खुली खदान का कुल प्रस्तावित खनन क्षेत्र 1600.00 हे. है जिसमें से 30.09.19 तक लगभग 695 हे. में खनन कार्य पूर्ण हो चुका है। खनन की गई मिट्टी का डम्पर, डेजर एवं ग्रेडर आदि से 30.09.19 तक कुल 353 हे. क्षेत्र आंतरिक डम्प में एवं 196.242 हे. बाहरी डम्प में रिक्लेमेशन एवं टेरेसिंग किया जा चुका है। 5. आवेदक विभाग द्वारा खनन के दौरान पृथक रूप से निकली टॉप सोइल की नियमित रूप से निर्धारित जगह पर संग्रहित कर प्रति वर्ष वृक्षारोपण से पूर्व उपयोग में लाया जाता है।
21)	User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake afforestation on degraded forest land, one and half time in extent to the area used for safety zone;	आवेदक विभाग द्वारा सेफ्टीजोन के 1.5 गुना बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षोरापण की राशि 1,18,84,392/– छत्तीगसढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई–चालान तैयार कर RTGS द्वारा जमा की गई है।
22)	User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake *gap planting* and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.4), if any, located in the area within 100 meters from outer perimeter of the mining lease;	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग द्वारा डम्प क्षेत्र में गैप प्लांटेशन वर्ष 2018–19 में एवं वर्ष 2019–20 में प्रतिवर्ष 50,000 नग पौधे रोपण किया जा चुका है।

Scanned with OKEN Scanner

23)	User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain. alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
24)	The User Agency shall prepare a list of existing village tanks and other water bodies with GPS co-ordinates located within five km, from the mine lease boundary. This list is to be duly verified by the concerned Divisional Forest Officer. The User Agency shall regularly undertake de silting of these village tanks and other water bodies so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies. A detailed plan for de silting of identified ponds and water bodies to be prepared in consultation with forest department and shall be submitted to MoEF & CC before Stage-II approval;	आवेदक विभाग द्वारा खनन क्षेत्र के 5 कि.मी. दूरी के परिधि में 17 गांवो में कुल 33 तालाब को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किये गये तालाबो का Desiltation आवेदक संस्था के व्यय पर किया जाना है। आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत Desiltation योजना संलग्न है।
25)	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
26)	The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage- I clearance;	आवेदक विभाग द्वारा CA, NPV, PCA आदि की राशि छत्तीगसढ़ कैम्पा में दिनांक 27/06/2018 को ई–चालान तैयार कर RTGS के माध्यम से रू. 130,37,59,136/– जमा किया की गई है।
27)	User agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (protection) Act, 1986;	आवेदक विभाग द्वारा Environment Clearance की कॉपी प्रस्तुत की गई है।
28)	Fencing, protection and regeneration of the safety zone area [7.5 meters strip shall be kept within the mining lease boundary and area of the safety zone shall be part of the total area of mining lease as per the Ministry's guidelines dated 27.05.2015] shall be done at the project / cost within three years and maintained thereafter as per approved working plan of the State	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक संस्था द्वारा वर्ष 2018–19 में सेफ्टीजोन प्लान्टेशन का कार्य 17 कि.मी. में से 03 कि.मी. किया गया है। जिसमें पौधो का जीवित प्रतिशत लगभग 95 प्रतिशत है। सेफ्टीजोन प्लान्टेशन का सुरक्षा घेराव चैनलिंक द्वारा किया गया है। शेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।

Scanned with CamScanner

	Govt. Besides this, afforestation on degraded forest land to be selected elsewhere measuring one & a half times the area under safety zone shall also be done at the project cost;	
29)	The Forest clearance will be for a period co terminus with the lease period specified in the lease agreement. The State Government will submit the lease agreement document specified in the lease agreement;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
30)	The user agency shall prepare a land surrender schedule for surrender of the mined out and biologically reclaimed forest land in accordance with the existing mine plan and progressive mine closure plan and submit an undertaking that mined out and biologically reclaimed forest land will be surrendered to the State Forest Department as per this schedule.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
31)	User agency shall undertake mining in a phased manner and take due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan shall be executed by the User Agency as per the approved mining plan/scheme and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the concern Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, and the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central), Ministry of Environment & Forests, concern Regional Office. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the user agency, the Nodal Officer or the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time,' such reclamation activities are satisfactorily executed;	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक संस्था द्वारा माईन क्लोजर प्लान में प्रस्तुत अनुमोदित योजना के तहत् वर्षवार रिक्लेमेशन का कार्य किया जा रहा है। योजना संलग्न है।
32)	No labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
33)	Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
34)	State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वनक्षेत्र में शासन द्वारा वनअधिकार पत्र से संबंधित कार्यवाही पूर्ण कर लिया गया है एवं कोई भी आवेदन लंबित नही है।

Scanned with CamScanner

3000

	diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in it's letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 3rd August 2009 read with 05.07.2013, in support thereof;	आवेदक विभाग द्वारा कलेक्टर कोरबा से प्राप्त एफ.आर. ए. की कॉपी प्रस्तुत की गई है।
35)	The user agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March every year regularly.	व.म.अ. के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग द्वारा लेख है कि वर्ष 2018–19 के लिये वार्षिक Self Compliance पत्र क्र. 42 दि. 26.04.19 के माध्यम से जमा किया जा चुका है।
36)	Any other condition that the concern Regional Office of this Ministry, may stipulate, from time to time, in the interest of conservation; protection and development of forests & wildlife; and	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।
37)	The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गयी है।

तदनुसार प्रतिवेदन अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार को शासन स्तर से लेख किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नः अधिसूचना की प्रति

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन(सं.एवं सं.)अ.)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/104 / 1654 रायपुर, दिनांक 30/06/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– **वन महानिरीक्षक, (एफ.सी. डिवीजन),** भारत सरकार – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इंदिरा पर्यावरण भवन, कक्ष क्रमांक 556, पांचवी मंजिल, अग्नि विंग, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली 110003.

संलग्नः अधिसूचना की प्रति

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन(सं.एवं सं.)अ.)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned with OKEN Scanner

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ बजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2025 — पौष 26, शक 1946

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 5–04/2007/10–2 (पार्ट).— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं कॉलम (5) में क्रमशः यथा दर्शित खसरा क्रमांक एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर "आरक्षित वन" के रुप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रुप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिए तथा उक्त अधिनियम के अध्याय–दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा उप–खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है, अर्थात्:–

अनुसूची

जिला–कोरबा
तहसील– दर्री

वनमण्डल – कटघोरा
परिक्षेत्र – कटघोरा

स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे.में)	अवस्थिति/सीमाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुरपा	प.ह.न. 35 दुरपा	433/1	18.000	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 15 तक। पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 15 से 29 तक। दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 29 से 34 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 34 से 1 तक ।
		योग	1	18.000	

Scanned with OKEN Scanner

2.	खम्हरिया	प.ह.न. 32 खम्हरिया	277 284	0.531 2.833	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 38 से 42 एवं 42 से 85/45 तक पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क 85/45 से 73/1 तक दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 73/1 से 9 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 9 से 38 तक
		योग	02	3.364	
3.	जरहाजेल	प.ह.न. 33 जरहाजेल	4/2 188/1 188/4 188/7	10.351 1.420 0.356 0.073	उत्तर – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 1 से 14 तक। पूर्व – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 14 से 59 तक। दक्षिण – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 59 से 66 तक। पश्चिम – कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क. 66 से 1 तक।
		योग–	4	12.200	
		महायोग	7	33.564	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जनवरी 2025

कमांक/एफ 5–04/2007/10–2 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क./एफ 5–4/2007/10–2 (पार्ट) दिनांक 10–01–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th January 2025

NOTIFICATION

No./F 5-04/2007/10-2 (Part).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as "Reserved Forest" and appoints the Sub-divisional Officer (Revenue) Katghora sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire in to and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely:-

Scanned with OKEN Scanner

3003

SCHEDULE

District - Korba
Tahsil - Darri

Forest Division - Katghora
Range - Katghora

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No. and Name of Revenue Village, where Block is situated	Khasra Number	Area (in Hec.)	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Durpa	P.H.No. 35 Durpa	433/1	18.000	North - Artificial boundary line Survey Pillar No. 1 to 15. East - Artificial boundary line Survey Pillar No. 15 to 29. South - Artificial boundary line Survey Pillar No. 29 to 34. West - Artificial boundary Line Survey Pillar No. 34 to 1.
		Total	1	18.000	
2.	Khamariya	P.H.No.32 Khamariya	277 284	0.531 2.833	North - Artificial boundary line Survey Pillar No. 38 to 42 and 42 to 85/45. East - Artificial boundary line Survey Pillar No. 85/45 to 73/1. South - Artificial boundary line Survey Pillar No. 73/1 to 9. West - Artificial boundary line Survey Pillar No. 9 to 38.
		Total	2	3.364	
3.	Jarhajail	P.H.No.33 Jarhajail	4/2 188/1 188/4 188/7	10.351 1.420 0.356 0.073	North - Artificial boundary line Survey Pillar No. 1 to 14. East - Artificial boundary line Survey Pillar No. 14 to 59. South - Artificial boundary line Survey Pillar No. 59 to 66. West - Artificial boundary line Survey Pillar No. 66 to 1.
		Total -	4	12.200	
Grand Total			7	33.564	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK PANDEY, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.

Scanned with OKEN Scanner